परिपत्र संख्या-डीजी-36/2014

ए0एल0 बनर्जी

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः जून 4, 2014

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि प्रदेश के जनपदों में घटित हो रहे अपराधों में विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध घटित गम्भीर प्रकृति के अपराध एवं हत्या के सनसनीखेज अपराधों की सूचना सर्वसम्बन्धित को दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है। प्रायः यह देखा गया है कि इस प्रकार की घटित हो रही घटनाओं को अपेक्षित स्तर का महत्व नहीं दिया जा रहा है।

आप सहमत होंगे कि इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने से एक ओर जनमानस में आक्रोश की भावना बलवती होती है, वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना त्वरित गति से उच्चाधिकारियों को न मिलने के कारण असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर से उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होने में अनावश्यक विलम्ब होता है। साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों का शासन के अधिकारियों से संवाद स्थापित किये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

यह आवश्यक है कि पूर्व में प्रचलित प्रणाली को मजबूत किया जाय। निम्नानुसार नियमित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है:-

- महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर प्रकति के अपराध एवं हत्या के सनसनीखेज अपराध घटित होने पर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र अवश्य जायें।
- घटना की सूचना एस.एम.एस. अथवा दूरभाष पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रेषित की जायें।
- घटना की अध्यावधिक, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के घटनास्थल के निरीक्षण के बाद भेजी जायें तथा घटनास्थल के स्थलीय निरीक्षण का समय भी अंकित किया जायें।
- घटना की सूचना मुख्यालय स्तर पर स्थापित नियन्त्रण कक्ष को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाये कि घटित उपरोक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त प्रमुख सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, सचिव गृह, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था को अनिवार्य एवं नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

मुझे विश्वास है कि इसके प्रति आप अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रम एवं उत्तरदायित्व का पूर्ण प्रदर्शन कर वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल होगें। अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी इसके स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय

(आनन्द लाल बनर्जी)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0,(नाम से)।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0,(नाम से)।
समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद,(नाम से)
उ0प्र0।